



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005

Tel/Fax: +91-141-2740264 / Email: caoia@jvvn.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn

"प्रभासि सति सूर्ययोः"

JPD/Rules- 1230

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F. 33 / D. 3447 Jaipur, dated: - 12-12-18

Order

Sub: - Amendment in JVVN Employees Service Regulations, 1964.

In exercise of the powers conferred vide order No. JPD/CAO(IA)/Rules /F. 90/ D. 3203 dated 20.01.2014, the Chairman & Managing Director has been pleased to adopt the State Government's memorandum No. F.1(6)/FD/Rules/2011 Pt. dated 10.09.2018 regarding "Child Care Leave". Accordingly, following guidelines are hereby issued in connection with provisions laid down regarding Child Care Leave under regulations 51(C) of JVVN Employee Service Regulations, 1964: -

1. चाईलड केयर लीव स्वीकृत करने के औचित्य/कारण/आधार- महिला कार्मिकों को चाईलड केयर लीव स्वीकृत करने के संबंध में विनियम, 51(C) में निम्नानुसार प्रावधान है :-

A female Government servant may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years, i.e. 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children whether for rearing or for looking after any of their needs, such as examination, sickness, etc.

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार महिला कर्मचारी के द्वारा अपने सबसे बड़े दो बच्चों या उनमें से किसी बच्चे का पालन (Rearing) या परीक्षा (Examination), बीमारी (Sickness) आदि के समय उनकी देखभाल करने के लिए चाईलड केयर लीव स्वीकृत किये जाने का आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

2. चाईलड केयर लीव को उर्पाजित अवकाश के अनुसार मानते हुए स्वीकृत किये जाने के संबंध में विनियम 51 C (2) (xi) में निम्नानुसार प्रावधान है:-


(xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.

ज.वि.वि.नि.लि. कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 में विनियम 45 (3) के अनुसार एक निगम कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिवस तक का उर्पाजित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम, अस्पताल में टी.बी, केन्सर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का उर्पाजित अवकाश देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः महिला कार्मिक को अपने बच्चों के पालन या परीक्षा एवं बीमारी के समया देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिवस तक का चाईलड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकेगा। बच्चों की किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम, अस्पताल में टी.बी, केन्सर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का चाईलड केयर लीव देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

3. चाईलड केयर लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी – महिला कर्मचारी को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही चाईलड केयर लीव स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। ज.वि. वि.नि.लि. कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 के परिशिष्ट-I में कम स. 16 के अन्तर्गत चाईलड केयर लीव संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी। यदि नियम 51 C (2) (ii) के अन्तर्गत चाईलड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है तो आवेदित अवकाश की अवधि के अनुसार, ऐसा अवकाश स्वीकृति हेतु कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 के परिशिष्ट I में प्रदत्त पूर्वोक्त शक्तियों में विहित प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
4. अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक कार्यालय/एक इकाई में पदस्थापित महिला कर्मचारी में से किसी महिला कर्मचारी को चाईलड केयर लीव स्वीकृत करने का निर्णय लेने हेतु यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवकाश स्वीकृत करने से कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यालय कार्य/सेवाओं का सुचारु संचालन संभव होगा। एक समय में एक कार्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को चाईलड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जावेगा। एक समय अवधि के लिए एक से अधिक महिलाकर्मों को चाईलड केयर लीव स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता का निर्धारण निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत किया जा सकता है:-
 1. बच्चे की गम्भीर बीमारी के समय देखभाल/विकलांगता के कारण बच्चे का पालन।
 2. बच्चे की सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समय देखभाल।
 3. बच्चे की सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल।
 4. 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे का पालन।

By order,



(Dr. R.P. Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Controller of Accounts, JPD, Jaipur
2. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
6. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
8. The Sr. Accounts Officer ()/ Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
9. The Superintending Engineer (), JPD, _____
10. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
11. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
12. P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.



(Aditya Jain)

Accounts Officer (Rules)